न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जी.सी.एम.नम्बर 2024/134

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
3. सुन्दर पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
4. योगेश पुत्र स्वव रामेश्वर जाति जोगी
5. धन्नी पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति जोगी निवासीयान आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज०
6. बर्फी पुत्री स्व० रामेश्वर पत्नी जगन्नाथ जाति जोगी
7. तारा पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी हजारी जाति जोगी निवासीयान मानकोट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०
8. इन्द्रा पुत्री स्व० रामेश्वर पत्नी संतोषनाथ जाति जोगी
9. मैना पुत्री स्व० रामेश्वर पत्नी पूरणनाथ जाति जोगी निवासीयान पापडी तहसील बैराठ विराट नगर, जिला जयपुर राज० ––

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजवीरसिंह पुत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
2. तेजसिंह पुत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
3. जगवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
4. रणवीरसिंह पुत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
5. भंवरकंवर पत्नी स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
6. उदयसिंह पुत्र स्व0 महावीरसिंह पोत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
7. हेमसिंह पुत्र स्व0 महावीरसिंह पोत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
8. रूपसिंह पुत्र स्व0 गहावीरसिंह पोत्र स्व0 प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
9. संतोष कंवर पत्नी स्व0 महावीरसिंह पुत्रवधु स्व० प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
10. मानकंवर पुत्री स्व० प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
11. तेजकंवर पुत्री स्व० प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह
12. सुगनकंवर पुत्री स्व० प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीयान आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज०

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 उनवानी मुकेश कुमार बनाम राजवीरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 के विरूद्व ।

उपस्थित–

1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजय सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 एवं 6 से 12 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–25.07.2024

1. अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 उनवानी मुकेश कुमार बनाम राजवीर सिंह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढके उक्त निर्णय दिनांक 06.03.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार प्रतापगढ निर्णय दिनांक 06.03.2024 निरस्त किये जाने एवं विक्रय पत्र दिनांक 02–06–1979 का इंतकाल मृतक रामेश्वर पुत्र भगवाननाथ जाति जोगी के वारिसान अपीलान्ट के नाम नया दर्ज करने का आदेश तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर को दिया जाने की प्रार्थना की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी हाल प्रतापगढ का निर्णय दिनांक 16–07–1982 बाबत इंतकाल संख्या 182 न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी दिनांक 30–08–1980 एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर के निर्णय दिनांक 16–03–1982 के अनुसार नामांतकरण खारिज किया है। इन न्यायालयों में चल रहे दीवानी वादपत्र एवं अपील का निस्तारण उच्चतम न्यायालय भारत तक दिनांक 15–07–2015 को अपीलान्टान के पक्ष में हो चुका है। उच्चतम न्यायालय भारत का निर्णय दिनांक 15–07–2015 हो जाने के पश्चात अपीलान्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर तहसीलदार थानागाजी हाल प्रतापगढ के यहां प्रस्तुत की और इंतकाल संख्या 182 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में करने का अनुतोष चाहा जिस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार प्रतापगढ ने दिनांक 06–03–2024 को निरस्त कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट के द्वारा न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी में पेश वादपत्र के साथ विविध स्टे प्रार्थना पत्र विक्रय पत्र दिनांक 02–06–1979 जो कि प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह ने अपीलान्ट के पिता रामेश्वर पुत्र भगवाननाथ के पक्ष में की गई रजिस्ट्री का इंतकाल दौराने दावा स्वीकार नही करने का अनुतोष चाहा था जो स्टे दौराने दावा चलता रहा है। जब वादपत्र का निर्णय रेस्पाडेन्ट के विरूद्ध हुआ तथा विक्रय पत्र दिनांक 02–06–1979 को दींवानी न्यायालय ने सही होना माना है तो स्टे की अपील व स्टे प्रार्थना पत्र में दिया निर्णय स्वतः ही निरस्त हो जाता है और वादपत्र में दिये गये अंतिम निर्णय में समायोजित हो गया तो अधिनस्थ न्यायालय को उन निर्णयों के अनुसार नया नामांतकरण दर्ज कर निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में पारित करना चाहिए। नामांतकरण संख्या 182 के खिलाफ अपीलान्ट के पिता रामेश्वर ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर में अपील संख्या 11/1/2010 रामेश्वरदयाल बनाम सरकार प्रस्तुत की जिसका न्यायालय ने दिनांक 24–01–2014 को यह अंकित करते हुए निर्णय किया कि इंतकाल जिस बयनामा के आधार पर दर्ज व निर्णित हुआ है, के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में बाद विचाराधीन है और अपील में निर्णय देना उचित नहीं समझते है। कार्यवाही ड्रोप की जाती है और तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया और यह कहते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16–07–1982 इसी न्यायालय द्वारा पारित है। इंतकाल संख्या 182 ग्राम आगर जिस आराजी का खारिज किया गया है उसके बंदोवरत सम्वत् 2060 के मुताबिक हाल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ख० नं0 721 रकबा 0.39 हैक्टेयर साबिक ख० नं0 672 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, हाल ख० नं० 722 रकबा 0.06 हैक्टेयर साबिक ख० नं0 673 रकबा 5 बिस्वा, हाल ख० नं० 732 रकबा 0.51 हैक्टेयर साबिक ख० नं0 683 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम आगर है।

अपीलान्ट गत 45 वर्ष से विक्रय पत्र दिनांक 02-06-1979 का इंतकाल दीवानी न्यायालयों में विचाराधीन वाद व अपील लंबित रहने के कारण उनकी खरीदशुदा व कब्जा प्राप्त आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित रहा है। चूँकि अब उच्चतम न्यायालय तक उनका निस्तारण हो चुका है उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उन निर्णयों पर गौर नही किया और गैरकानूनी निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है । इंतकाल संख्या 182 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज करदिया तो रेस्पाडेन्ट उपखण्ड अधिकारी राजगढ से प्रशासनिक आदेश प्रार्थना पत्र पर प्राप्त करके लाये जबकि उनके द्वारा इंतकाल संख्या 182 की कोई अपील नही की गई थी। उस आदेश के अनुसार इंतकाल खारिज किया गया जिसका अधिनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही था चूँकि वो न्यायिक निर्णय की तारीफ में नही आता है, अधिनस्थ न्यायालय को दीवानी न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद व अपील के निर्णय तक इंतकाल संख्या 182 के निर्णय को स्थगित रखना चाहिए था और उसके पश्चात इंतकाल का निस्तारण करना चाहिए।

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06-08-2019 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-01-2017 को इसलिए खारिज किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर का निर्णय दिनांक 24-10-2014 में अपील की कार्यवाही को इसलिए ड्रोप कर दिया और निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय में दीवानी अपील विचाराधीन है उसके निर्णय अनुसार अधिनस्थ न्यायालय इंतकाल संख्या 182 पर कार्यवाही पुनः चालू कर इंतकाल संख्या 182 का निस्तारण करें, अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। रेस्पाडेन्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-07-2015 व 21-05-2015 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तो उच्चतम न्यायालय ने भी रेस्पाडेन्ट की अपील को दिनांक 24-08-2015 को निरस्त कर दिया, जो निर्णय सभी अधिनस्थ राजस्व व दीवानी न्यायालयों पर लागू होता है और उसको अधिनस्थ न्यायालय को मानना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया। और अनेक अधिनस्थ राजस्व व दीवानी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रस्तुत नये वादपत्रो व स्टे का हवाला देते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। मृतक प्रीतमसिंह उर्फ पीताम्बरसिंह की मृत्यु के पश्चात इंतकाल संख्या 182 पर अधिनस्थ न्यायालय में कार्यवाही लंबित थी तो इंतकाल सख्या 560 दिनांक 06-04-2023 को पटवारी हल्का जो कि अधिनस्थ न्यायालय के अधिनस्थ है, दर्ज ही नही करना चाहिए और ग्राम पंचायत के समक्ष उसे प्रस्तुत नही करना चाहिए था। इंतकाल संख्या 560 भी निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ दिनांक 06-03-2024 निरस्त किया जाये। विक्रय पत्र दिनांक 02-06-1979 का इंतकाल मृतक रामेश्वर पुत्र भगवाननाथ जाति जोगी के वारिसान अपीलान्ट के नाम नया दर्ज कर स्वीकार करने का आदेश तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर को दिया जाये ।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स ने प्रस्तुत अपील में विकय पत्र दिनांक 02.06.1979 के आधार

पर इन्तकाल मृतक रामेश्वर पुत्र भगवाननाथ के वारीसान के नाम दर्ज व स्वीकार करने की प्रार्थना की है जबकि बैयनामा दिनांक 02.06.1979 के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 182 को दिनांक 16.07.1982 को तहसीलदार साहब थानागाजी द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। जो आदिनांक तक खारिज ही है। लेकिन अपीलांट द्वारा तथ्यों का छिपाते हुये अपील दायर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2024 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इंतकाल संख्या 182 दर्ज किया जाकर तत्कालीन तहसीलदार थानागाजी द्वारा खारिज निर्णित कर दिया गया था। जो इस न्यायालय का पूर्व सक्षम निर्णय है एवं वर्तमान में बिना किसी अपीलीय आदेश के इस नामान्तरकरण पर नया कोई भी आदेश समकक्ष न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपीलीय कोर्ट द्वारा तहसीलदार के निर्णय को मेरिट पर निर्धारित करते हुए कोई परिवर्तनकारी अन्तिम निर्णय हाल तक प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2015 की मंशा अनुसार बयनामा का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है तथा सक्षम तहसीलदार न्यायालय द्वारा उसका खारिजी निर्णय भी कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के लम्बित प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2015 की प्रार्थना अनुसार बयनामा का नामान्तरकरण पूर्व में ही दर्ज हो जाने एवं निर्णित होने से इस न्यायालय स्तर से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इस न्यायालय स्तर से समाप्त किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चाहे गये बैयनामें के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने की कार्यवाही दिनांक 16.07.1982 को ही समाप्त हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि अपीलांट्स ने प्रस्तुत अपील में विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1979 के आधार पर इन्तकाल मृतक रामेश्वर पुत्र भगवाननाथ के वारीसान के नाम दर्ज व स्वीकार करने की प्रार्थना की है। बैयनामा दिनांक 02.06.1979 के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 182 को दिनांक 16.07.1982 को तहसीलदार साहब थानागाजी द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी हाल प्रतापगढ का निर्णय दिनांक 16–07–1982 बाबत इंतकाल संख्या 182 न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी दिनांक 30–08–1980 एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर के निर्णय दिनांक 16–03–1982 के अनुसार नामांतकरण खारिज किया है। इन न्यायालयों में चल रहे दीवानी वादपत्र एवं अपील का निस्तारण उच्चतम न्यायालय भारत तक दिनांक 15–07–2015 को निस्तारण हो चुका है। तत्पश्चात अपीलान्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर तहसीलदार थानागाजी हाल प्रतापगढ के यहां प्रस्तुत की और इंतकाल संख्या 182 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में करने का अनुतोष चाहा जिस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार प्रतापगढ ने दिनांक 06–03–2024 को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट गत 45 वर्ष से विक्रय पत्र दिनांक 02–06–1979 का इंतकाल दीवानी न्यायालयों में विचाराधीन वाद व अपील लंबित रहने के कारण उनकी खरीदशुदा व कब्जा प्राप्त आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित रहा है। चूँकि अब उच्चतम न्यायालय तक प्रकरण में निस्तारण हो चुका है उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उन निर्णयों पर गौर नही कर तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा उक्त बैयनामा दिनांक 02.06.1979 के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 182 के संबंध में कोई

राजस्व आयुक्त
उदयपुर

कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 06.03.2024 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार प्रतापगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।